

**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative & other matters)

Wednesday, 03 March 2021/ 12, Phalgun, 1942 (*Saka*)

No.49

COMMENCEMENT OF SECOND SESSION OF THE SEVENTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the second session of Seventh Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Monday, 08th March, 2021 at 11:00 A.M. in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi-110054.

LIEUTENANT GOVERNOR'S ADDRESS:

Being the first Session of the year, Hon'ble Lieutenant Governor shall address the Assembly on **08th March, 2021, at 11:00 A.M.** Hon'ble Members are requested to kindly be in their seat by 10.45 AM.

Thirty minutes after Hon'ble Lieutenant Governor departure, the duly constituted sitting of the House shall take place to transact the listed business.

ALLOTMENT OF DAYS FOR TRANSACTION OF BUSINESS DURING SECOND SESSION:

Sittings of the Legislative Assembly have been tentatively fixed for 08, 09, 10, 11, 12, 15, & 16 March 2021. Subject to the exigencies of business, the sitting of the House may be extended.

TIME OF SITTING:

The Legislative Assembly will sit on the above days and will continue until the business fixed for the day is concluded. The quorum bell will be rung 05 Minutes before the time stipulated above to enable Members to take their seat. On 08th March, 2021 at the time of Lieutenant Governor's Address, the Quorum bell will not be rung.

The sittings of the Legislative Assembly shall commence at 11.00 A.M. daily and continue till it is adjourned for the day. The quorum bell will be rung at 10.55 A.M. to enable Members to take their seats. The lunch break will be observed between 01:00 P.M. to 02:00 P.M.

On 08th March 2021, the sitting of the House will commence 30 minutes after conclusion of the Hon'ble Lieutenant Governor's Address. As mentioned above, the Hon'ble Lieutenant Governor shall address the Assembly on 08th March 2021 at 11.00 A.M.

WEARING OF FACE MASK AND DISPLAY OF IDENTITY CARDS:

In view of the prevailing COVID-19 pandemic situation, Hon'ble Members are requested to wear face mask and practice social distancing compulsorily to contain the spread of COVID-19 pandemic. Hon'ble Members are also requested to carry and display their Identity Cards while wearing face masks which would also help in identification in Legislative Assembly Complex.

MANDATORY TESTING OF COVID-19 (RT-PCR/ANTIGEN)

Hon'ble Speaker has directed that all Hon'ble Members are required to mandatorily carry Covid-19 test report (RT-PCR/Antigen) for the purpose of attending the sitting/session on 08/03/2021. Hon'ble Members may get RT-PCR done at their own level or attend the Assembly Complex on Friday, 05 March 2021 and Saturday, 06 March 2021 from 10:00 A.M. onwards and on Monday, 08 March 2021 from 09:00 A.M. onwards for COVID-19 Antigen Test alongwith their Aadhar Card.

SEATING ARRANGEMENT:

Hon'ble Members are informed that keeping in view the social distancing being practiced on account of COVID pandemic, the existing Seating Arrangement will not be applicable in the Session. Seats shall be reserved for Hon'ble Chief Minister, Hon'ble Deputy Chief Minister, Hon'ble Ministers, Hon'ble Deputy Speaker, Hon'ble Chief Whip and Hon'ble Leader of Opposition. Hon'ble Members shall take their seat in the House on first come first served basis.

SPECIAL MENTION UNDER RULE-280:

As per direction of Hon'ble Speaker, Members who want to raise matters under Rule-280 may give Notice of the same by 05:00 P.M. on the date preceding the date of sitting on which the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 Notices will be held in the room of the Secretary, Legislative Assembly at 09.30 A.M. on the day on which it is proposed to be raised.

Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting. Hon'ble Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. Any deviation will be disallowed and treated as summarily expunged from the proceedings. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PROCEDURE OF NOTICES:

- (a) Kind attention of the Members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows:
 - (1) Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the Member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Branch between such hours as notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.
 - (2) A notice received in the Notice Branch after the hours other than those specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.
 - (3) While the House is sitting, copies of Notices except of cut motions, received under sub-rule (1) shall be circulated by the Secretary to members by next day.
- (b) Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Branch. **THE NOTICE BRANCH IS LOCATED IN ROOM NO. 46.**
- (c) All notices delivered in the Assembly Notice Branch are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.
- (d) As the Assembly Notice Branch is alone responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Member does so, it is not likely to be taken note of.
- (e) The Assembly Notice Branch shall remain open during office hours i.e. 09:30 A.M. to 06:00 P.M.

PROHIBITION ON VISITORS

Hon'ble Members are hereby informed that Hon'ble Speaker has directed that no visitors will be allowed during the Second Session of the Seventh Legislative Assembly commencing from 08 March 2021 in the Legislative Assembly Complex on account of COVID-19 pandemic.

NOTE: - CELLULAR PHONES, I-PADS, TABLETS, LAPTOPS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC. MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE.

C. Velmurugan
Secretary

विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

बुधवार, 03 मार्च, 2021 / 12 फाल्गुन, 1942 (शक)

संख्या- 49

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सातवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र का प्रारंभ :

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सातवीं विधान सभा का द्वितीय सत्र **सोमवार, दिनांक 08 मार्च, 2021 को विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054** में प्रारंभ होगा।

उपराज्यपाल का अभिभाषण:

यह वर्ष का प्रथम सत्र है, अतः माननीय उपराज्यपाल 08 मार्च, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा सचिवालय सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-54 में सभा को संबोधित करेंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे पूर्वाह्न 10.45 बजे तक अपना आसन ग्रहण कर लें।

माननीय उपराज्यपाल के प्रस्थान के 30 मिनट उपरांत सदन की विधिवत गठित बैठक अपना कार्य आरंभ करेगी।

द्वितीय सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिए दिनों का आबंटन :

विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर 08, 09, 10, 11, 12, 15 एवं 16 मार्च 2021 के लिए निर्धारित की गई है। कार्य की अत्यावश्यकता होने पर सदन की बैठकें बढ़ायी जा सकती हैं।

बैठक का समय :

विधान सभा की बैठकें उपरोक्त तिथियों पर होंगी और तब तक चलेंगी जब तक कि उस दिन के लिये निर्धारित कार्य समाप्त नहीं हो जाता। गणपूर्ति की घंटी नियत समय से **05 मिनट पूर्व** बजेगी ताकि सदस्य अपना आसन ग्रहण कर सकें। परन्तु **उपराज्यपाल के अभिभाषण के दिन अर्थात् 08 मार्च, 2021 को गणपूर्ति की घंटी नहीं बजेगी।**

विधान सभा की बैठक प्रतिदिन पूर्वाह्न 11.00 बजे से प्रारम्भ होगी और तब तक चलेगी जब तक उसे उस दिन के लिए स्थगित न कर दिया जाए। सदस्यों को अपने स्थान ग्रहण करने के लिए पूर्वाह्न 10:55 बजे गणपूर्ति घंटी बजेगी। भोजन अवकाश अपराह्न 01:00 बजे से 02:00 बजे तक रहेगा।

दिनांक 08 मार्च, 2021 को सदन की बैठक माननीय उपराज्यपाल के संबोधन के 30 मिनट बाद आरंभ होगी। जैसा कि ऊपर उल्लेख है, माननीय उपराज्यपाल 08 मार्च, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सदन को संबोधित करेंगे।

फेस मास्क पहनना और पहचान पत्र प्रदर्शित करना :

कोविड-19 वैश्विक महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क पहनें और अनिवार्य रूप से सामाजिक दूरी का पालन करें। माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे फेस मास्क पहन कर रखें तथा अपना पहचान पत्र साथ लाएं और प्रदर्शित करें, जिससे विधानसभा परिसर में उनको ठीक से पहचानने में भी मदद मिलेगी।

कोविड-19 (आरटी-पीसीआर/एंटीजन) की अनिवार्य जाँच :

माननीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि सभी माननीय सदस्यों का 08.03.2021 को होने वाले सत्र/बैठक में भाग लेने के उद्देश्य से किये गये कोविड-19 (आरटी-पीसीआर/एंटीजन) की जाँच रिपोर्ट साथ लेकर आना अनिवार्य है। माननीय सदस्य अपने स्तर पर जाँच करवा सकते हैं या शुक्रवार, दिनांक 05 मार्च, 2021 एवं शनिवार, दिनांक 06 मार्च, 2021 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से कोविड-19 आरटी-पीसीआर के लिए तथा सोमवार, दिनांक 08 मार्च, 2021 को पूर्वाह्न 09:00 बजे से एंटीजन जाँच के लिए विधानसभा परिसर में आधार कार्ड के साथ उपस्थित हो सकते हैं।

बैठने की व्यवस्था:

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कोविड वैश्विक महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सदन में सदस्यों के बैठने की वर्तमान व्यवस्था लागू नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, माननीय उपाध्यक्षा, माननीय मुख्य सचेतक तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष के लिए आसन आरक्षित रहेंगे। माननीय सदस्य सदन में "पहले आएँ, पहले पाएँ" के आधार पर आसन ग्रहण करेंगे।

विशेष उल्लेख (नियम-280) :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जो माननीय सदस्य नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को उठाना चाहते हैं, प्रस्तावित विषय की सूचना मामला उठाने की तिथि से एक दिन पूर्व कार्यदिवस को अपराह्न 05.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग उस दिन पूर्वाह्न 09.30 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी, जिस दिन मामले को उठाया जाना है। बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु माननीय सदस्यों का स्वागत है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय मूल पाठ से न हटें। मूल स्वीकृत पाठ से हटकर उठाए गए मामले को सदन की कार्यवाही से निकाला हुआ माना जाएगा। विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से ही संबंधित होना चाहिए।

नोटिसों की प्रक्रिया :

- (क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम-258 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्न प्रकार है:-
1. नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी, जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जाएगी तथा नोटिस शाखा में ही दी जाएगी जो कि इस प्रयोजन के लिये शनिवार, रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिए खुली रहेगी।
 2. नोटिस शाखा में उप-नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएँ अगले कार्य दिवस के लिये दी गई समझी जायेंगी।
 3. जब सदन की बैठक हो रही हो तो कटौती प्रस्तावों के अतिरिक्त जो सूचनाएँ उप-नियम(1) के अंतर्गत प्राप्त होंगी, उनकी प्रतिलिपि सचिव द्वारा सदस्यों में अगले दिन तक वितरित कर दी जाएँगी।

- (ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा की नोटिस शाखा में जमा कराना चाहिए। **नोटिस शाखा कमरा नंबर 46 में स्थित है।**
- (ग) विधान सभा की नोटिस शाखा में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है।
- (घ) विधान सभा की नोटिस शाखा ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है। अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएँ न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा सचिवालय के किसी अन्य अधिकारी/ शाखा को दें। यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिए गए नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- (ङ.) माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु नोटिस शाखा कार्यालय समय अर्थात् पूर्वाह्न 09:30 से अपराह्न 06:00 बजे तक खुली रहेगी।

आगंतुकों का निषेध :

माननीय सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार 08 मार्च, 2021 से होने वाले सातवीं विधानसभा के द्वितीय सत्र में कोविड-19 महामारी के कारण दर्शकों/आगंतुकों को विधानसभा परिसर में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी:

कृपया मोबाइल फोन, आई. पैड्स, टेबलैट्स, लैपटोप्स या अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण आदि सदन के बाहर ही रखें।

सी.वेलमुरुगन
सचिव